उत्तराखण्ड शासन

## संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

### नीलामी–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/9/20 को अपरान्ह 3:00 बजे कार्यालय संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून में निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी की जायेगी।

नीलामी से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को अपने प्रार्थना पत्र के संलग्नक ₹ 20,000.00 (₹ बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/सी0डी0आर0 जो कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम पर देय होगा, जमा करना अनिवार्य है। परिसर में रखे निष्प्रयोज्य सामानों को किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है। नीलामी से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें कार्यालय की वेबसाईड **www.uttarakhandculture.in** से डाउनलोड/नोटिस बोर्ड पर देखी/पढ़ी जा सकती हैं।

**निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।**

# नीलामी की नियम व शर्तें

संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून में दिनांक 10/09/2022 को अपरान्ह 3:00 बजे निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी की जायेगी। नियम व शर्तें निम्नवत् हैं–

1. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट–19 (घ) में राजकीय सम्पत्ति के निस्तारण के नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून हैं, जिसके अन्तर्गत भण्डार के विक्रय अथवा निस्तारण के लिए अधिकृत हैं।
2. नीलामी अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार होगी, किन्तु अधिकारी उच्चतम बोली या किसी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम बोली स्वीकार न किये जाने की दशा में इसके कारणों को उधृत किया जाना आवश्यक होगा। संदेहपूर्ण एवं दुर्भावना युक्त व्यक्तियों को बोली बोलने से मना किया जायेगा।
3. नीलामी की बोली को स्वीकार/अस्वीकार करना सक्षम प्राधिकारी/निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड की स्वीकृति के अधीन होगा, जिसे नीलामी के समय ही स्पष्ट कर दिया जायेगा।
4. प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिए तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित है, लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता।
6. जहां जैसे है (as is where is) की शर्त पर वस्तुओं का विक्रय किया जायेगा। न्यूनतम बोली/कीमत को पूर्व में घोषित कर दिया जायेगा। इसके लिए बोली पंजी (बीड रजिस्टर) फार्म पर बनाया जायेगा। प्रत्येक सामग्री या लाट के लिए अलग–अलग पृष्ठों पर बीड लाये जायेंगे। कोई भी गारंटी या वारंटी नहीं होगा तथा कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी। बोली बोलने वाले पूर्व में भण्डार की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
7. जब सामान का ढेर (lot) के स्थान पर माप तथा संख्या द्वारा नीलाम किये जाने का प्रस्ताव होता है तो इसकी घोषणा नीलामी के पूर्व की जानी चाहिए। ऐसे मामले में बोली प्रत्येक संख्या एवं माप के लिए की जायेगी।
8. नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी यदि यह समझता है कि बोली लगाने वाले समूह (रिंग) गठित कर रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप नीलामी में प्रस्तावित सामान के लिए उचित मूल्य नहीं प्राप्त किया जा सकेगा तो वह नीलामी को स्थगित कर सकेगा।
9. परिसर में रखे गये या विज्ञापित किये गये किसी सामान को नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी बिना कारण बताये नीलामी से रोकने के लिए अधिकृत होगा।
10. बोली के अंतिम होते ही मूल्य का 25% अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी स्वीकार्य नहीं होंगे। नीलामी कराने वाला अधिकारी बिना कारण बताये ही अंतिम बोली लगाने वाले व्यक्ति से 25 % के ऊपर वस्तु के पूर्ण कीमत तक की अर्नेस्ट मनी की मांग कर सकता है।
11. अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को सामान बेचा जा सकेगा या पुनः नीलामी की जा सकेगी। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड को विधिसम्मत कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित होंगे।
12. बोली लगाने वाला व्यक्ति यदि बोली के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा–185 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए उत्तदायी होगा।

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली के अनुमोदन के पश्चात् शेष धनराशि को उसी जिले की ट्रेजरी में सात दिनों के भीतर जमा किया जायेगा।
14. यदि सफल बोली लगाने वाला निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही सामान को अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा किन्तु शर्त यह है कि 25% जब्त धनराशि को शामिल करते हुए उसकी बोली उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तावित बोली से कम नहीं होगा अन्यथा वस्तु की नीलामी पुनः की जाएगी।
15. सफल बोली को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने की लम्बित दशा में बोली लगाने वाला नीलामी के परिसर के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व पर सामान की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था करेगा।
16. पूर्ण भुगतान के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की गयी वस्तु बोली लगाने वाले को उपलब्ध करायी जायेगी।
17. सक्षम अधिकारी या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में वस्तु को परिसर से उठाया जा सकेगा।
18. भुगतान हो जाने के सात दिनों के अन्दर माल उठाना आवश्यक होगा अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा माल स्टोर करने एवं इसकी अभिरक्षा हेतु एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से (विक्रय मूल्य पर) अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जा सकेगा।
19. यदि सक्षम अधिकारी स्वीकृत बोली को अनुमोदित नहीं करते हैं तो बोली लगाने वाले के द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी लौटा दी जायेगी तथा उसके पक्ष में किया गया नीलामी शून्य हो जाएगा।
20. चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो क्रेता की होगी।
21. विक्रय लेखा का प्रारूप फार्म बी पर तैयार किया जाना चाहिए। विक्रय लेखा उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जो अतिशेष सामान की रिपोर्ट के साथ विक्रय लेखा में की गयी प्रविष्टियों की तुलना करने के बाद बोली का पर्यवेक्षण किया हो। किसी अन्य अधिकारी द्वारा सामान अवमुक्त किये जाने की दशा में विक्रय लेखा की कालम–9 की प्रविष्टि को ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जायेगा।
22. नीलामी से पूर्व बोलीदाता को रू0 20,000.00 (बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/सी0डी0आर0 जोकि निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम पर देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
23. अप्रयोज्य, पुराना या आवश्यकता से अधिक घोषित करने वाले आदेश की प्रति महालेखाकार, उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।
24. बोली में भाग लेने की अनुमति दिये जाने के पूर्व बोली के प्रतिभागियों से यह लिखित रूप से प्राप्त किया जायेगा कि वे इन नियमों में निर्धारित शर्तों एवं निबन्धनों को यथावत स्वीकार करते हैं।
25. विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा पंचाट किया जाएगा जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
26. किसी मुकदमें की स्थिति उत्पन्न होने पर वाद संस्थित करने हेतु न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
27. बोली लगाने वाले के द्वारा नीलामी के नियम व शर्तों को पढ़ लिया है जोकि यथावत रूप से स्वीकार है।

निदेशक
संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

हस्ताक्षर
बोलीकर्ता का नाम–
पता–
मोबाईल न0–